न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 वाद सं0—43 / 2012—13

राज्य बनाम सुजीत कुमार उर्फ सोनु कुमार

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

आदेश

16-3-18

प्रस्तुत वाद विशिष्ट पदाधिकारी अनुमाजन, पटना के पत्र सं0 129(अनु0) दिनांक 21.01.2013 के साथ श्रीकृष्णापुरी थाना कांड सं0 21 / 13 से दर्ज प्राथमिकी की छाया–प्रति एवं जप्ती–सूची प्राप्त हुआ।

विशिष्ट पदाधिकारी अनुमाजन, पटना के उक्त पत्र द्वारा प्रश्नगत कांड में जप्त सामग्रियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा–6ए के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा किया गया है। जिसके आलोक में दिनांक 01.02.2013 को वाद प्रारम्भ किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सुजीत कुमार उर्फ सोनु कुमार, पिता राजु प्रसाद, महल्ला–आनन्दपुरी, पटना के द्वारा 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेण्डरों से गैस निकाल कर अवैध व्यापार के आरोप में आरोपी बनाया गया। आरोपी को नोटिस निर्गत करते हुए, उन्हें अपना पक्ष साक्ष्य सहित दिनांक 22.02.2013 को न्यायालय में रखने का निदेश दिया गया। विपक्षी (आरोपी) के द्वारा दिनांक 08.07.2014 को नोटिस प्राप्त किया गया। उसके पश्चात् आरोपी (विपक्षी) दिनांक 10.07.2014 को वकालतनामा सहित आवेदन दाखिल किया। परन्तु साक्ष्य स्वरूप कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 07.11.2014 को आरोपी द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय कि मांग किया। इसके पश्चात् आरोपी दिनांक 15.07.2016 से 16.03.2018 तक लगातार 11 (ग्यारह) तिथियों से अनुपस्थित है। जिससे स्पष्ट है कि आरोपी को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजात को परिशीलन किया एवं विशेष लोक अभियोजक को सुना। विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि आरोपी के द्वारा नोटिस प्राप्ति के पश्चात् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। साथ ही वे लगातार अनुपस्थित रहें हैं। उक्त के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विपक्षी को न तो इस वाद में रूचि है और न ही उनके पास कोई साक्ष्य है।

[illegible] आदेश दिया जाता है कि [illegible]

~~[illegible] कांड सं० 21/13 में जप्त गैस सिलेण्डरों के गैस को गैस एजेंसी से~~ निकाल करवाकर खाली गैस सिलेण्डर को सम्बन्धित कम्पनी को हस्तगत करा दें तथा बिक्री से प्राप्त पूर्ण राशि को सरकारी खजाने में कोषागार चालान से जमा कराकर, चालान की मूल प्रति को अपने कार्यालय के अभिलेख में संधारित कराकर उक्त चालान की एक छाया-प्रति को स्व० अभिप्रमाणित कर न्यायालय में अवश्य ही भेज देंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी
पटना।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।